न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -86/2023

अनवान

1. पुष्पेन्द्र सिंह पत्र चतर सिंह उर्फ छतर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 55 वर्ष, निवासी मूल निवासीी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,हाल निवासी मीरा नगर, भुवाना, उदयपुर, जिला उदयपुर राजस्थान।

-प्रार्थी/वादी

बनाम

1. काली पुत्री चतरा जी भील, उम्र वालिग, निवासी ग्राम श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीया/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री प्रदीप बीलू अभिभाषक प्रार्थी।
पराग त्रिपाठी अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 18.09.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् में एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा वावत् पेश किया है, प्रार्थी को आशा है कि वाद पत्र अवश्य डिक्री होगा लेकिन निर्णय में समय लगेगा। प्रार्थी के खाते की जमीन ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा में स्थित है जिसके खाता संख्या 163 खसरा संख्या 694, रकवा 0.3600, खसरा संख्या 695, रकवा 1.5500, खसरा संख्या 696, रकवा 0.0200, खसरा संख्या 697, रकवा 1.7900, खसरा संख्या 700, रकवा 1.3300, खसरा संख्या 702, रकवा 0.3500 कुल किता 6 कुल रकवा 5.4000है0 है। प्रार्थी के खाते की उक्त आराजीयात में खसरा संख्या 694 पर प्रतिप्रार्थी विपक्षी अवैध रूप से कब्जा करने की नियत सेनींव खोदना चाह रही है तथा प्रार्थी प्रार्थी की जमीन पर मकान वनाना चाह रही है। प्रार्थी उदयपुर में सरकारी विभाग में कार्यरत है जिसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर प्रतिवादियां विपक्षियां कब्जा करना चाह रही है। प्रार्थी के चचेरे भाई वीरेन्द्र सिंह ने प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी विपक्षी द्वारा कब्जा करने प्रयासों की सूचना दी तथा वीरेन्द्र सिंह ने प्रतिवादियां विपक्षी को दिनांक 20.06.2023 को जाकर मना किया कि जमीन मेरे भाई की है इस पर कब्जा मत कर, वाद कारण दिनांक 20.06.2023 से उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है, प्रतिवादिया विपक्षी ने मेरे भाई वीरेन्द्र सिंह को धमकियाँ दी है कि मैं कब्जा करके रहूंगी और ज्यादा किया तो तुम्हे धारा 03 तथा वलात्कार के झूठे मुकदमें में अंदर करवा दूंगी। यदि प्रतिवादिया विपक्षी ने प्रार्थी प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर मकान वना लिया तो प्रार्थी अपनी जमीन से मेहरूम हो जायेगा। प्रतिवादिया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी की जमीन पर कब्जा नहीं करे तथा मकान नहीं बनावे इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैंसला वाद तक प्रार्थी के कॉलम संख्या 02 में अंकित ग्राम श्रीपुरा में स्थित आराजी खाता संख्या 163 पर कोई अवैध निर्माण कार्य न स्वयं करें न अन्य से करावें तथा कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करें और न ही अन्य से कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलव किया गया। [illegible] श्री पराग त्रिपाठी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। [illegible] कॉलम संख्या 01 अस्वीकार होकर जवाव है कि प्रार्थी का [illegible] आधारित होने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बिल्कुल [illegible] प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 अस्वीकार है खसरा संख्या 694 [illegible] कब्जा नहीं कर रखा है। यह विपक्षीया के माता पिता का पैश्तेनी वाडा है। जिसके चारों तरफ 5 [illegible] फीट की कच्ची दीवार हो रही है उसके अन्दर पूर्व में कच्चा मकान था जर्जर हो जाने से वरसात [illegible]नी टफकने, घर का सामान गीला हो जाने, रात्रि में वरसात के दिनों में सोने तक में परेशानी होने की वजह से आवास योग्य हो सके इसके लिए केवल आरसीसी की छत डलवाई है इसके अलावा अन्य कोई कब्जा नही कियास है। प्रार्थी पुष्पेन्द्र सिंह जी व विपक्षीया के मध्य इस वाडे व मकान के वारे में आज दिन तक कोई विवाद नही हुआ है केवल प्रार्थी के चचेरे भाई विरेन्द्र सिंह जी जो प्रार्थी की जमीन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh
Date: 2024.10.21 13:45:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

देख रेख करते है उनके मन में बदयांति आ जाने के कारण असहाय, अशिक्षित महिला के इस वाडे पर जवरन कब्जा करने की नियत रखते हुए आये दिन विपक्षीया को परेशान किया जाता है और कहते है कि यह हमारे अधिकार की जमीन मे है जवकि विपक्षीया व वादी की जमीन के वीच में कच्ची 5-5 फीट की दिवार मौके पर वनी हुई है एवं ग्राम भुंजर से खेतो व जंगल की ओर जाने वाले खाल के रास्ते जो कि पुश्तैनी रास्ता है जिस पर ट्रेक्टर गाडी गडार से सभी गांव वाले इसका उपयोग करते है उस रास्ते पर विपक्षीया का वाडा स्थित है, नाजायाज रूप से विपक्षीया को परेशान किया जा रहा है, विपक्षीया अपने वाल वच्चो को लेकर अपना मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण कर रही है। विवादित मकान/वाडे पर विपक्षीया काविज है जो कि पुश्तैनी है, किसी तरह का कोई नया कब्जा या अतिक्रमण किया ही नही गया इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होकर विपक्षीया के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित सिद्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को किसी तरह की कोई क्षति होने की संभावना नही है वल्कि इसके विपरित यदि विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया तो उसके पुश्तैनी वाडे/मकान जिसमें वह स्वयं व परिवार सहित आवास कर रही है, उसके सुखाचार प्रभावित होंगे और प्रार्थी ताकत के वल पर उसे वेदखल कर अपना कब्जा वनाने में पीछे नहीं रहेंगें इसलिए विपक्षीया के हक व अधिकारों की रक्षा मात्र सच्चे न्याय से ही हो सकेगी। अन्त में विपक्षीया अशिक्षित गरीव, असहाय महिला है जो मेहनत मजदूरी कर अपने वच्चों का पालन पोषण कर रही है, विपक्षीया ने कालम संख्या 02 में अंकित आराजी खाता संख्या 163 पर न तो कब्जा है और ना ही प्रार्थी की किसी आराजी पर कोई निर्माण किया है विपक्षीया अपने पुश्तैनी वाडे पर स्थित मकान में निवास करती चली आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर किसी भी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की वहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा में स्थित है जिसके खाता संख्या 163 खसरा संख्या 694, रकवा 0.3600, खसरा संख्या 695, रकवा 1.5500, खसरा संख्या 696, रकवा 0.0200, खसरा संख्या 697, रकवा 1.7900, खसरा संख्या 700, रकवा 1.3300, खसरा संख्या 702, रकवा 0.3500 कुल किता 6 कुल रकवा 5.4000है0 कृर्षि भूमि जो प्रार्थी/वादी की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि पर अप्रार्थीया जवरन कब्जा करने पर आमदा होकर निर्माण कार्य करा रही है, उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीया को अस्थाई निशेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह वादी/प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे। इस वावत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्राथी ने निवेदन किया कि विवादित मकान/वाडे पर विपक्षीया काविज है जो कि पुश्तैनी है, किसी तरह का कोई नया कब्जा या अतिक्रमण किया ही नही गया इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होकर विपक्षीया के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित सिद्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को किसी तरह की कोई क्षति होने की संभावना नही है वल्कि इसके विपरित यदि विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया तो उसके पुश्तैनी वाडे/मकान जिसमें वह स्वयं व परिवार सहित आवास कर रही है, उसके सुखाचार प्रभावित होंगे। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा में स्थित है जिसके खाता संख्या 163 खसरा संख्या 694, रकवा 0.3600, खसरा संख्या 695, रकवा 1.5500, खसरा संख्या 696, रकवा 0.0200, खसरा संख्या 697, रकवा 1.7900, खसरा संख्या 700, रकवा 1.3300, खसरा संख्या 702, रकवा 0.3500 कुल किता 6 कुल रकवा 5.4000है0 कृर्षि भूमि जो प्रार्थी/वादी की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजी पर अप्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई कब्जा हो दस्तावेजी सवूत के अभाव में साबित नहीं होता है। [illegible] प्रथम दृष्टया प्रमाणित सिद्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को किसी तरह की कोई क्षति होने की संभावना [illegible] है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में अधिक है। ऐसी [illegible] में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.10.21 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गमोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा
उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा